न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–25/20–21

वन्दना शर्मा पति–पवन कुमार शर्मा, श्याम बाजार रोड दुमका

वनाम

राज कुमार शर्मा पिता–स्व0 महावीर प्र0 शर्मा, एवं अन्य दुमका

(5)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
11.1.2022	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–25/20–21 वन्दना शर्मा पति–पवन कुमार शर्मा, श्याम बाजार रोड दुमका वार्ड सं0–7 (पुराना) 13 (नया) थाना–दुमका टाउन, जिला–दुमका के द्वारा राज कुमार शर्मा, पिता–स्व0 महावीर प्र0 शर्मा एवं अन्य के विरूद्ध मौजा–दुमका टाउन, थाना–दुमका नगर, जिला–दुमका के होल्डिंग नं0–201/216, दाग सं0–897 (अंश), बसौड़ी जमावंदी सं0–24/9, रकवा–5.15 डी0 में अंचलाधिकारी दुमका के नामान्तरण वाद सं0–256/R 27/19–20 में पारित आदेश दिनांक–04.11.2019 के विरूद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में वर्णित किया गया है कि डीड सं0–467, दिनांक–11.12.2018 मौजा–दुमका टाउन के होल्डिंग सं0–201/216, वार्ड सं0–7 (पुराना) 13 (नया) के दाग नं0–897 (अंश), रकवा–5.15 डी0 भूमि मोहन लाल शर्मा पिता–स्व0 मातादीन शर्मा से क्रय किया है एवं दखल प्राप्त है। जमावंदी सं0–24/9, दाग सं0–897 कुल रकवा 6 कट्ठा 7 धुर भूमि मातादीन शर्मा के मृत्यू के पश्चात् उनके दो पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा एवं मोहन लाल शर्मा को पारिवारिक बँटवारा के आधार पर आधा–आधा सम्पत्ति 5.15 डी0 प्रत्येक को प्राप्त हुआ। महावीर प्र0 शर्मा वर्ष 1960 से अपने जीविका हेतु कोलकाता में निवास कर रहे हैं इसलिए अपने हिस्से की भूमि 5.15 डी0 भूमि अपने भाई मोहन लाल शर्मा को Deed of Declaration bearing Registration No-230 Date 24.05.2007 के माध्यम हस्तानांतरित किया। मोहन लाल शर्मा द्वारा उक्त भूमि वंदना शर्मा पति–पवन शर्मा को निबंधित डीड सं0–467 दिनांक–11.12.2018 से बिक्री किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि का नामांतरण अंचलाधिकारी दुमका केस नं0–41/R 27/2019–20 दिनांक–08.07.2019 को पारित आदेश अपीलार्थी के नाम से किया गया है। इस प्रकार आवेदक का उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। पूर्व में विपक्षी द्वारा दुमका अंचल के न्यायालय में नामांतरण वाद सं0–96 R 27/18–19 दाखिल किया। कर्मचारी द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि पारिवारिक बंटवारानामा	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	निबंधित नहीं है। अतएव अंचलाधिकारी दुमका के द्वारा उक्त नामांतरण वाद को आदेश तिथि 01.08.2019 से खारिज कर दिया गया। पुनः विपक्षी द्वारा नामांतरण वाद सं0–256/R 27/19–20 दिनांक–04.11.2019 से उपरोक्त प्रश्नगत भूमि का अपने नाम से नामांतरण कराया गया। विपक्षी द्वारा गलत तरीके से अपने नाम से नामांतरण कराये जाने के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है, जो कि मोहन लाल शर्मा के द्वारा निबंधित डीड सं0–467 दिनांक–11.12.2018 एवं दाखिल खारिज बाद सं0–41/19–20 दिनांक–08.07.2019 द्वारा उसे पूर्व में ही प्राप्त है। इस प्रकार अंचलाधिकारी दुमका द्वारा गलत तरीके से नामांतरण किया गया है। वर्णित भूमि का नामांतरण पूर्व में ही अंचलाधिकारी द्वारा उसके नाम किया गया है पुनः विपक्षी के नाम नामांतरण किया जाना गलत है। अभिलेख में संलग्न दस्तावजों का अवलोकन किया स्पष्ट है कि अंचलाधिकारी दुमका द्वारा एक ही भूमि को दो बार नामांतरण किया गया है। अतः अंचलाधिकारी दुमका के नामांतरण वाद सं0–256/R 27/19–20 में पारित आदेश दिनांक–04.11.2019 को निरस्त किया जाता है। अतः इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 11.01.2022 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका। 11.1.2022 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2023.02.13 15:58:11 +05:30
Location: 192.168.1.113